



Neutral Citation No. -

2026:AHC:58239

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2216 वर्ष 2026

सुनील कुमार

.....आवेदक बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अमन अहसान, शिवम यादव, उदय भाटिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 1241/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम) 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन- इंदिरापुरम, जिला- ट्रांस हिंडन (कमिश्नर कार्यालय) गाजियाबाद में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग चार्ट से पता चलता है कि आवेदक दो मूल मामलों में शामिल है और वह दोनों मामलों में जमानत पर है। आदेशों को आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के साथ क्रमशः अनुलग्नक संख्या 3 और अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि केवल आवेदक की स्वतंत्रता को सीमित करने और उसे दी गई जमानत को रद्द करने के लिए, उसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह जांच में सहयोग करने का वचन देता है और न तो फरार होगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। उसके हितों की रक्षा की जाए। आवेदक के विद्वान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि गैंग चार्ट में उल्लिखित दो मूल मामलों के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है, जैसा कि उसके खिलाफ दर्ज एक आधार मामले, केस संख्या 822/2025, धारा 310(2), 317(3), 3(5) और 111(6) बी.एन.एस., 2023, पुलिस स्टेशन- इंदिरापुरम, जिला- गाजियाबाद से स्पष्ट है। माननीय ए.जी.ए. ने आगे कहा है कि आवेदक गिरोह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है और इस न्यायालय द्वारा उसे कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, माननीय ए.जी.ए. आवेदक के किसी अन्य आपराधिक इतिहास को इंगित करने में सक्षम नहीं रहे हैं और आवेदक उन दोनों मामलों में जमानत पर है जो गिरोह चार्ट में उसके खिलाफ दिखाए गए हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. आवेदक को दो मूल मामलों में जमानत मिल चुकी है। सेशन जज, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 6.9.2025 के आदेश द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 822/2025, धारा 111(6) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस स्टेशन- इंदिरापुरम, जिला- गाजियाबाद और दिनांक 5.8.2025 के आदेश द्वारा सेशन जज, गाजियाबाद द्वारा केस क्राइम संख्या 833/2025, धारा 109(1), 3(5) बी.एन.एस. और धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन- इंदिरापुरम, जिला- गाजियाबाद। गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दिनांक 21.11.2025 को दर्ज किया गया है। आवेदक 29 वर्ष का पुरुष है, जो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और मामले की खूबियाँ पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता/समझती हूँ।

8. उपरोक्त के मददेनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह व्यक्तिगत बहिष्कार और दो जमानती प्रस्तुत करे, जिनमें से प्रत्येक की राशि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इतनी ही हो, जो संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

20 मार्च 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"